भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 611
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना

611. श्री मारगनी भरत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) पुराने लंबित मामलों के निपटान में अदालतों की सहायता हेतु आंध्र प्रदेश राज्य में न्याय मित्रों की सेवाएं लेने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार 80 न्याय मित्रों की सेवाएँ लेने जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश की जिला अदालतों में सेवा हेतु प्रस्तावित न्याय मित्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय मित्र कार्यक्रम का लक्ष्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 10-15 वर्ष से पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाना है ।

(ख) और (ग) : अप्रैल, 2017 में न्याय मित्र कार्यक्रम के आरंभ से असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में कुल 39 न्याय मित्रों की सेवाएं ली गई थी, जिसमें विगत 10 वर्षों से 1000 से अधिक मामले लंबित थे । इस मानदंड के आधार पर, आंध्र प्रदेश का कोई भी जिला न्याय मित्र योजना के अधीन नहीं आता था ।

(घ) : (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ।

******